2018/00052

APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बलोतरा

अजं अदालत ..... नियम .....

..... दीपसिंह ..... बनाम ..... 22 आम .....

किस्म मुकदमा ..... 88.188 ..... नं ..... 19 ..... सन् ..... 2018 .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/3/18	वादी/वादीगण की ओर से यह वाद पत्र वकील श्री देवी सिंह ने अन्तर्गत धारा 88.188 का पेश किया । जिस पर कार्यालय रिर्पोट प्राप्त की, कार्यालय रिर्पोट का अवलोकन किया वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो ,प्रतिवादी को वाद पत्र के सम्मन मय वाद पत्र की प्रति के, जारी हो पत्रावली वास्ते तामिल/,जवाबदावा तारीख 25/4/18 को पेश हो सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बलोतरा	भगवतीसिंह राठौड सरपंच ग्राम पंचायत क प स बालोतरा
25/4/18	वादी-अनील उपस्थित। प्रतिवादी क्र- 2 उपस्थित। प्रमाननी आय-का दिनाम रूप कालूडी के दिनांक 11/6/18 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बलोतरा	देवी सिंह अ.वि. धनसिंह
11/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत रूप कालूडी मे पेश हुई। वादीगण सख्या 1 ता 5 व प्रतिवादीगण सख्या - 2 उपस्थित। वादीगण ने अपने वाद पत्र में संक्षिप्त रूप से जाहिर किया की वादीगण की पुश्तैनी अविभाजीत संयुक्त राजस्व आराजी राणप्य गांव कितपाला के खेत खातरा न० 302	अ.वि. [illegible]

(भागीरथ राम)
शीतासीन अधिकारी लोक अदालत, कोर्ट कैम्प- 2018

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

रकबा २५ बीघा बारानी २नाप व १५मन जौव बालूड़ी के खेत रक० न० 95 रकबा 50.03 बीघा के बादीगण 1/4 पिता पोकरसिंह का 1/3 हक हिस्सा है तथा जौव बालूड़ी के रक० न० 117 रकबा 33.11 बीघा के 3/5 हिस्सा के से 1/5 हिस्से का 1/3 हिस्सा बादीगण के पिता पोकरसिंह के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, जिस पर सभी खातेदारान का संयुक्त कब्जा काश्त व रहवास है। बादीगण पोकरसिंह पुत्र सरदारसिंह की संतान है। पोकरसिंह पिछले २१ वर्ष पूर्व घर से मजदूरी करने हेतु निकले थे। तबसे घर से निकले उस से लेकर आज दिन तक वापिस घर पर नहीं आये एवं न ही उनका कहीं कोई अता पता है वे जीवित है या नहीं उसका कोई अता पता नहीं है। दिनांक २२/8/15 को रोजनामचा समाचार पत्र में बादीगण द्वारा अधिवक्ता के माध्यम इश्तिहार प्रकाशित करने हेतु आम सूचना का नोटिस भेजा था। जिसमे भी बादीगण के पिता पोकरसिंह का कहीं भी अता पता नहीं रहा व नहीं कहीं उपस्थित रहे। व पुलिस थाना जालोतरा से भी गुमशुदगी हेतु सूचना दी गयी थी तबसे आज दिन तक बादीगण के पिता पोकरसिंह का कहीं

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

उसका पता नही मिलता है। वादीगण को उपरोक्त वारदात के बारे मे पक्की जानकारी है। वादीगण को अपने पिता के उक्त जायदाद में अपना नाम दर्ज कराना आवश्यक होने से वाद पेश किया है।

वादीगण ने मारी के अलावा हमारी दो बेटियां, बबीता, सेजा बेटी, मंगलाकंवर पुष्पाकंवर, नाथाकंवर व मेनूकंवर को प्रदर्श 1 से 5 तक राजस्व रेकर्ड व प्रदर्श-7 विधिक नोटिस व प्रदर्श-8 डाकखाना पावती रसीद व प्रदर्श-9 डाकखाने की प्रति व प्रदर्श-10 से 15-सी तक नकल जाति व आधार कार्ड अपने दावों मे प्रदर्शित कराये। तथा दावे में बताया की दोनों बेटियां पिछले 25-30 वर्षों से बाहर से शुरू हो गये है जिनका आज दिनांक तक कोई अता-पता नही है। तथा वादीगण ही दोनों पक्षों के वारिस है। इसके अलावा कोई वारिस नही है। दोनों के नाम के दावे पर वादीगण का नाम की योजना लिये जाने के दावे दिये गये है।

(भानुप्रिया राव)
अति. कलेक्टर 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

हमने पत्रावली का अवलोकन व
अध्ययन किया गया। प्रतिवादीगण-
2 व ग्राम पंचायत कालूडी के सरपंच
व उपस्थित ग्रामीणजनों को आम मजमा
सुना गया। उक्त वादीगण का वाद
स्वीकार किया जाकर; आदेश तहसीलदार
पचपदरा को दिया जाता है वादीगण
के पक्ष में आराजी भूमि के वादीगण
के पिता (मुमसुदी) पोमराजिह के
जगह उनके नाम दाखिल वादीगण
संख्या 1 ता 5 का नाम राजस्व
रेकर्ड दुरुस्त करें।
प्रत्यमिक डिक्री जारी हो।
पत्रावली पेशल सुमार होकर
दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय राजस्व लोक अदालत
कोम्प कालूडी में सुनाया गया

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर